जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 07.10.2024

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 5998 द्वारा दो पक्षों में मारपीट/विवाद होने से घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल*-** पीआरवी 5998 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बड़गो से कालर ने इवेन्ट संख्या 42545 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट/विवाद होने से एक व्यक्ति (1- भगवान दास पुत्र रामभुज ग्राम बड़गो, थाना धनघटा) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 ओमप्रकाश दीपक, आ0 पंकज यादव, हो0चा0 सोमनाथ यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनों से 1,02,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनों से 1,02,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0764/2024 धारा 302 बी0एन0एस0 तथा 3, 5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में वाँछित अभियुक्त नाम पता राममोहित पुत्र स्व0 जयराम निवासी गरथवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 06.10.2024 को घटना में प्रयुक्त एक काले रंग के बैग में 01 अदद बाईबिल, 02 अदद डायरी, 02 अदद धार्मिक प्रार्थना पेज, 01 अदद रजिस्टर के साथ ग्राम गरथवलिया के पूरब स्थित नहर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी श्री अमरनाथ शर्मा पुत्र मन्तराम शर्मा ग्राम गरथवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा उक्त अभियुक्त व उसके दो साथियों के विरुद्ध लोगो को लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने व हिन्दू देवी देवताओं के सम्बन्ध में अपमानजनक शब्द कहने, हिन्दू औरतों से अपना बिछिया, पायल एवं गले में पहने ओम के लाकेट उतरवा देने, हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियों फेकने के लिए कहने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित एक अभियुक्त श्रवण पुत्र झिनकान निवासी गुलरिया सिरमा सिसवा जनपद बस्ती को पूर्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-.

1. राममोहित पुत्र स्व0 जयराम निवासी गरथवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण- एक काले रंग के बैग में 01 अदद बाईबिल, 02 अदद डायरी, 02 अदद धार्मिक प्रार्थना पेज, 01 अदद रजिस्टर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0 श्री सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री दिलीप सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 आदित्य सिंह, का0 चन्द्रशेखर यादव, का0 अनुप कुमार शर्मा, म0का0 सुनीता गोंड।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सामूहिक दुष्कर्म के मामलें में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रु0 (कुल 1,00,000रू0) के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 07.10.2024 को ***न्यायालय – एएसजे / एसपीजे / पाक्सो एक्ट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना महुली*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 518/2016 धारा 363, 366, 376D भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्तगण नाम पता 1.विनोद सिंह पुत्र राम अर्जन सिंह 2.मोहन सिंह पुत्र राम अर्जन सिंह 3.बल्लभ उर्फ बलिराम पुत्र राममिलन सिंह निवासीगण कोठा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 4.अमरजीत पुत्र स्व0 परशुराम सिंह निवासी धमैचा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सिद्धदोष के आधार पर उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 363 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000रु0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह साधारण कारावास,अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 366 भादवि में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रु0 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा । अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 15,000रु0 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।